भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1186
08.12.2025 को उत्तर के लिए

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की पर्यावरणीय क्षति लागत आकलन संबंधी रिपोर्ट

1186. श्री मनोज तिवारी :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की पर्यावरणीय क्षति लागत आकलन (ईडीसीए) संबंधी प्रारूप रिपोर्ट में प्रतिपूरक क्षति का आकलन करने के लिए एक समान पद्धति का प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऐसी रिपोर्ट में दिल्ली में प्रदूषण की घटनाएँ, जैसे अपशिष्ट से ऊर्जा/लैंडफिल पर दीर्घकालिक प्रभाव और कभी-कभार होने वाली उच्च प्रदूषण की घटनाएँ शामिल हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा देश में, विशेषकर दिल्ली में, पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आकलन के लिए सीपीसीबी के ईडीसीए प्रारूप को एक आधिकारिक पद्धति के रूप में अपनाया गया है या अपनाने की योजना है;

(घ) सरकार द्वारा ओखला और गाजीपुर के आस-पास ऐतिहासिक राख/मृदा संदूषण जैसे दीर्घकालिक जोखिमों पर ईडीसीए लागू करने के लिए अपनाई गई रणनीति क्या है;

(ङ) क्या ईडीसीए में पूर्वव्यापी क्षति आकलन और सामुदायिक स्वास्थ्य और भूमि सुधार लागत शामिल होते हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) ईडीसीए रिपोर्ट को अंतिम रूप देकर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) द्वारा दिल्ली-विशिष्ट मामलों में इसका उपयोग करने की समय-सीमा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (च): पर्यावरणीय क्षति लागत आकलन (ईडीसीए) रिपोर्ट, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा गठित समिति द्वारा तैयार की गई है, ताकि पर्यावरणीय मानकों से अधिक प्रदूषक उत्सर्जन, कचरा प्रबंधन नियमावलियों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन, पर्यावरणीय मंजूरी और अन्य पर्यावरणीय अनुमोदनों की शर्तो का गैर-अनुपालन, प्रभाव आकलन, पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय क्षति की पुनर्स्थापना और निश्चित शास्तियाँ लगाने के लिए पर्यावरणीय क्षति लागत दायित्व सुनिश्चित किया जा सके। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने उक्त रिपोर्ट को सभी हितधारकों के बीच परिचालित किया है, जिसमें राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियाँ, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), भारतीय प्रबंधन संस्थान(आईआईएम) शामिल हैं और इसे अंतिम रूप देने के लिए जनता की सलाह प्राप्त करने के लिए इसे केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी)की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया गया है।

*****